भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
12.03.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2289 का उत्तर

रेलवे सुरक्षा बल को समूह 'क' सेवा का दर्जा

2289. श्री सुधाकर सिंह:
श्री राजीव राय:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के आलोक में भारतीय रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को संगठित समूह 'क' सेवा का दर्जा देने और 2006 से गैर-कार्यात्मक वित्तीय उच्मनयन तथा 6.6.2000 से गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड के परिणामी लाभ देने को मंजूरी दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और वर्तमान कार्यान्वयन की स्थिति क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) और (ख) जी हाँ। मंत्रिमण्डल के दिनांक 10.07.2019 के निर्णय के अनुपालन में, रेल मंत्रालय ने रेल सुरक्षा बल को 11.07.2019 के कार्यालय ज्ञापन के तहत संगठित समूह 'क' का दर्जा प्रदान किया है। 01.01.2006 से गैर-कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन (एनएफएफयू) और 06.06.2000 से वरिष्ठ ड्यूटी पद (एसडीपी) के 30% गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड का तदनुरूपी लाभ भी प्रदान किया गया है।

*****